Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/3808/2003/नागौर

1. चेतनराम
2. नानकराम
3. तेजाराम पुत्रगण जयराम
4. मु. रूपा देवी बेवा आसूराम
5. हरिश पुत्र आसूराम
6. रामचन्द्र पुत्र आसूराम
7. मोहनराम पुत्र रामूराम
8. रघुवीरसिंह पुत्र रामूराम
9. मु. पांची बेवा रामूराम
10. श्रंवण पुत्र बलदेव
11. दुर्गाराम दत्तक पुत्र चूनाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम आकोडा तहसील जायल जिला नागौर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. विक्रमसिंह
2. सत्यप्रकाश
3. रामनिवास
4. महीपाल पुत्रगण हरीराम जाति जाट निवासीग्राम जानेवापूर्व तहसील जायल जिला नागौर
5. राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

6. गुल्लाराम पुत्र जयराम
7. मु0 मैना बेवा शम्भूराम
8. सुभाष पुत्र शम्भूराम
9. संजू पुत्री शम्भूराम

समस्त जाति जाट निवासी आकोडा तहसील जायल जिला नागौर

–तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री हंगामीलाल, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 19.02.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05–05–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण असल प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम आकोडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 72, खसरा नम्बर 73, खसरा नम्बर 74, खसरा नम्बर 135, खसरा नम्बर 136, खसरा नम्बर 182, खसरा नम्बर 305, खसरा नम्बर 133/316, खसरा नम्बर 134/317 एवं खसरा नम्बर 187 कुल रकबा 144 बीघा 06बिस्वा भूमि बाबत् खातेदारी घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रतिवादी अपीलार्थी एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 बलदेवराम व प्रतिवादी संख्या–2 रामूराम वादीगण के पिता हरिराम के भाई थे, जिनके एक भाई जयराम था, जिसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 से 6 है। वादीगण के पिता हरीराम उर्फ हरिया की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी का नामान्तरकरण वादीगण के नाम से नहीं भरा गया। वादीगण केबंट व हिस्से की कुल 144बीघा 06बिस्वा में से 48बीघा भूमि बनती है तथा वर्तमान में वादीगण के बंट व कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 135 रकबा 26बीघा 02बिस्वा व खसरा नम्बर 136 रकबा 24बीघा 18बिस्वा भूमि मौजूद है, लेकिन प्रतिवादीगण की इस बंटवारे बाबत् सहमति नहीं हो पायी। अतः वादीगण को विवादित आराजी का शामलाती खातेदार घोषित किया जावे अन्यथा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य

बंटवारा किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता हरिराम वर्ष 1961 में अपने ससुर के गोद चला गया था, वह जनेवापूर्व में रहता था। वादीगण का आकोडा स्थिति भूमि पर कब्जा नहीं नहीं होने से फौतगी का नामान्तरकरण नहीं भरा गया। उक्त वाद के विचाराधीन विवादित भूमि बाबत् वादीगण दुर्गाराम, आसूराम, मोहनराम, रघुवीरसिंह एवं शिम्भूराम की ओर से घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण संख्या–1 लगायत 4 व श्रवणराम, गुलाराम, तेजाराम, चेतनरामव नानगराम के विरूद्ध वर्ष 1995 में प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–7–99 से पूर्ववर्ती वाद संख्या–68/1992 के साथ वाद संख्या 144/1995 को सम्मिलित किया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 06–10–2000 से वादीगण विक्रमसिंह वगैराह को विवादित आराजी में उनके पिता के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर तहसीलदार जायल से उनके 1/4 हिस्से के विभाजन प्रस्ताव तलब किये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05–052–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों

द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण के पिता हरीराम अपने स्वर्गीय ससुर मानाराम के यहां वर्ष 1961 में ही गोद चले गये थे एवं तब से लेकर आज दिन तक अपने ससुर मानाराम के ग्राम जानेवा पूर्व में स्थिति भूमि पर ही खातेदार की हैसियत से काश्त करते चले आ रहे है। उनका कथन है कि विवादित आराजी को लेकर एक अन्य राजस्व वाद 144/1995 अपीलार्थीगण दुर्गाराम, आसूराम, मोहनराम एवं रघुवीर सिंह शिम्भूराम ने प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण विक्रमसिंह आदि के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसको विक्रमसिंह आदि द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 68/92 के साथ कन्सोलिडेट करतेहुए महज उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्ववाद पर ही कानूनी विवेचन करने के बाद निर्णय दिनांक 6-10-2000 से डिक्री कर दिया तथा अपीलार्थीगण दुर्गाराम आदि द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 144/1995 बाबत् कोई भी कानूनी विवेचना नहीं की गयी एवं ना ही अपना कोई निर्णय पारित किया। उनका कथन है कि पारिवारिक वंशावली के अनुसार बुद्धाराम के पांच पुत्र थे, जिनमें से चुनाराम ने रामूराम के पुत्र दुर्गाराम को गोद लिया था, क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं थी। विवादित आराजी में बुद्धराम के सभी वारिसान का 1/5 -1/5 हिस्सा बनता है परन्तु प्रत्यर्थी विक्रमसिंह आदि के पिता हरीराम अपने ससुर के यहां वर्ष 1961 में ही गोद चला गया था इस कारण कानूनन प्रत्यर्थीगण का आराजी मुतनाजा में हक व हिस्सा समाप्त हो चुका है। उनका कथन है कि चूनाराम का हिस्सा भी कानूनन विवादित आराजी में बनता है, जिसके वारिसान अपील में अपीलार्थी संख्या-11 दुर्गाराम पुत्र चुनाराम है, जिसको वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद 68/1992 में पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसी स्थिति में वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं था। उनका कथन है कि वादीगण विक्रमसिंह आदि ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपने बयान करवाये जिसमें उन्होंने स्पष्ट माना है कि वो अपने जन्म के समय से ही अपने नाना मानाराम के ग्राम जानेवापूर्व में ही रहते चले आ रहे है, इससे भी यह साबित हो

जाता है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण के पिता हरीराम वर्ष 1961 में ही अपने ससुर मानाराम के यहां गोद चले गये थे। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर वादीगण को कब्जा काश्त नही होने से कानूनन उनके पक्ष में विवादित आराजी की खातेदारी की डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक अनियमितता नहीं होने से पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका कथन है कि प्रदर्शपी-2ए पंजीकृत गोदनामा दिनांक 6-6-1956 के अनुसार मानाराम ने अपने दोहिते महिपाल को गोद लिया था। वादीगण प्रत्यर्थीगण के पिता हरीराम अपने ससुर मानाराम के गोद नहीं गये थे। उनका कथन है कि वादीगण के पिता हरीराम विवादित आराजी में सहखातेदार के रूप में राजस्व अभिलेख में अभिलिखित थे, जिनके देहान्त के उपरान्त वादीगण के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया। उनका कथन है कि वादीगण के पिता हरीराम का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है, उसी अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तात्विक अनियमितता नहीं है। उनका कथन है कि दुर्गाराम ने जो दावा किया था, उसमें उसने

अपने आपको चुनाराम का दत्तक पुत्र बताया तथा वादीगण के पिता को अपने ससुर मानाराम के गोद जाना कथन किया, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। ऐसी स्थिति में दुर्गाराम को चूनाराम का दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण असल प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम आकोडा स्थित विवादित आराजी कुल रकबा 144 बीघा 06बिस्वा भूमि बाबत् खातेदारी घोषणा एवं बंटवारे का वाद प्रतिवादी अपीलार्थी एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 बलदेवराम व प्रतिवादी संख्या–2 रामूराम वादीगण के पिता हरिराम के भाई थे, जिनके एक भाई जयराम था, जिसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 से 6 है। वादीगण के पिता हरीराम उर्फ हरिया की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी का नामान्तरकरण वादीगण के नाम से नहीं भरा गया। वादीगण के बंट व हिस्से की कुल 144बीघा 06बिस्वा में से 48बीघा भूमि बनती है तथा वर्तमान में वादीगण के बंट व कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 135 रकबा 26बीघा 02बिस्वा व खसरा नम्बर 136 रकबा 24बीघा 18बिस्वा भूमि मौजूद है, लेकिन प्रतिवादीगण की इस बंटवारे बाबत् सहमति नहीं हो पायी। अतः वादीगण को विवादित

आराजी का शामलाती खातेदार घोषित किया जावे अन्यथा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता हरिराम वर्ष 1961 में अपने ससुर के गोद चला गया था, वह जनेवापूर्व में रहता था। वादीगण का आकोडा स्थिति भूमि पर कब्जा नहीं नहीं होने से फौतगी का नामान्तरकरण नहीं भरा गया। उक्त वाद के विचाराधीन विवादित भूमि बाबत् वादीगण दुर्गाराम, आसूराम, मोहनराम, रघुवीरसिंह एवं शिम्भूराम की ओर से घोषणा एवं बंटवारे का वाद संख्या–144/1995 प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण संख्या–1 लगायत 4 व श्रवणराम, गुलाराम, तेजाराम, चेतनराम व नानगराम के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें जवाबदावा पेश होने से पूर्व ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–7–99 से पूर्ववर्ती वाद संख्या–68/1992 के साथ पश्चात्वर्ती वाद संख्या 144/1995 को संलग्न किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर मूल वाद में तीन तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी तत्पश्चात् पारित निर्णय दिनांक 6–10–2000 से वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया।

8. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दोनों दावों एवं वाद संख्या 68/1992 में प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि वादीगण अपने पिता स्वर्गीय हरीराम उर्फ हरिया की संयुक्त खातेदारी की विवादित आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के पात्र है अथवा नहीं? वादीगण के पिता स्वर्गीय हरीराम उर्फ हरिया अपने ससुर मानाराम के वर्ष 1961 में गोद गये थे अथवा नहीं? विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–पी–2ए मानाराम द्वारा निष्पादित पंजीकृत गोदनामा दिनांक

6–6–1956 है, जिसके अनुसार मानाराम ने अपने दोहिते महीपाल को गोद लिया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण के पिता हरीराम उर्फ हरिया अपने ससुर माना राम के गोद नहीं गया था बल्कि मानाराम ने अपने दोहिते महीपाल को वर्ष 1956 में गोद लिया था। इसी प्रकार विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 अनुसार विवादित आराजी वादीगण के पिता हरीराम उर्फ हरिया के नाम अन्य भाईयों के साथ सहखातेदारी में दर्ज है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वादीगण के पिता हरीराम उर्फ हरिया के गोद जाने के बिन्दू को प्रमाणित नहीं होना मानते हुए तथा विवादित आराजी राजस्व अभिलेख्य में हरिया, बलदेवा, रामूडा पिसरान बुधाराम एवं गुलाराम, तेजाराम, नानगा, चेतनराम पि. जयराम के नाम सहखातेदारी में दर्ज होना से विवादित आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्से का अधिकारी होना मानते हुए तनकी संख्या–1 को वादीगण प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है। तनकी संख्या–2 व 3 के निर्णय में वादीगण के पिता हरीराम उर्फ हरिया का अपने ससुर मानाराम के गोद जाने के बिन्दू को प्रमाणित नही ंहोना मानते हुए उक्त तनकी सं–2 व 3 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलार्थीगा द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप द्वितीय अपील के माध्यम से किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना

जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05-05-2003 एवं सहायक कलक्टर, जायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06-10-2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य